अनुपस्थित वादी 68/2018

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2018/00020

(नियम-26)

अज अदालत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नियम

बालोतरा कैम्प.....

भंवरा राम बनाम हनुमान राम

किस्म मुकदमा 8.0.453 नं..... सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/8/18	उपस्थित पेश हुई दोनों पक्षकार उपस्थित वादीगण ने यह वाद पत्र बेश कोर्ट बनाम पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने वाद पत्र में ग्राम रामसर नम्बर 861/515 863/517, 862/517, 845/860, 844/860, 516, 519 552/519, व 522 कुल रकबा 112-08 बीघा से वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित करने हेतु पेश किया तथा हिस्सा घोषित के वाद उक्त भूमि का जायदाद संयुक्त अनुसार विभाजन करने हेतु निवेदन किया पक्षकारान ने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पेश किया तथा पक्षकारान की पहचान पटवारी द्वारा की गई। दोनों पक्ष आपस में सहमत है तथा दोनों पक्ष नक्शा जरी का मोकामा हुए। वादीगण हनुमान 510 नंबरान का मोकामा हुए। तथा प्रतिवादीगण जगनाराम 510 नंबरान का	जैसाराम खेताराम भलाराम भंवरराम RLC Chairman हनुमानराम जगनाराम पहिचान कर्ता रामू राम पटवारी पारलू अणसीदेवी

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....

P.T.O

Scanned by CamScanner

मौजा मारवू के रकबा नम्बर 861/515 रकबा 16-04, रकबा नम्बर 863/517 रकबा 15-18 कीला रकबा नम्बर 862/517 रकबा 15-19 कीला, रकबा नम्बर 895/860 रकबा 8-02, रकबा नम्बर 894/860 रकबा 8-02 कीला रकबा नम्बर 516 रकबा 0-11 कीला रकबा नम्बर 549 रकबा 23 कनाल कीला रकबा नम्बर 552/549 रकबा 14-13 कीला व रकबा नम्बर 522 रकबा 9-19 कीला कुल रकबा 112-08 कीला भूमि के वादीगण 1 से 3 को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। व खातेदार घोषित कर वादिनी व प्रतिवादीगण से आपसी सहमति अनुसार निम्न प्रकार से भूमि का विभाजन करने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	रकबा नं.	रकबा	किस्म
1	मलखान सिंह हंसाराम कौम चौधरी साकिन रतन SBBJ शाखा मारवू	863/517	15-18	का.अं.
		862/517	1-07	का.अं.
		2	17-05	
2-	जैकिशन सिंह हंसाराम कौम चौधरी साकिन रतन SBI शाखा मारवू	862/517	14-12	का.अं.
		894/860	0-07	का.अं.
		895/860	1-06	का.अं.
		3	17-05	
3-	देवीसिंह हंसाराम कौम चौधरी साकिन रतन खातेदार SBBJ शाखा मारवू	861/515	8-15	का.अं.
		894/860	6-15	का.अं.
		895/860	6-16	का.अं.
		3	17-05	

P.T.O.

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

4- हनुमानराम S/o अचलाराम कौम चौधरी सा० देह रयातेदार रहन स. ख. पी. बीक ब्रांच बालोतरा	1519	0-12	का. अं.
	1522	2-06	मां अं.
	1552/	9-00	मां अं
	3	11.18	
5- मगनाराम S/o अचलाराम कौम चौधरी सा० देह रयातेदार की बाउमेर सं: बे. ब्रां. कौम शांका शेरगढ़ बालोतरा	1519	10.18	का अं
	1552	0-14	का अं
	522	0-06	मां अं
	3	11.18	
6 उमाराम S/o अचलाराम कौम चौधरी सा० देह रयातेदार रहन SBBJ शाखा मारपू	1519	11-10	का. अं
	1522	0-08	का. अं
	2	11.18	
7- भंवरलाल S/o अचलाराम कौम चौधरी सा० देह रयातेदार	1522	6-19	मां० अं
	1552	4-19	मां. अं.
	2	11.18	
8- रणछोड़राम S/o अचलाराम कौम चौधरी सा० देह रयातेदार रहन SBBJ शाखा मारपू	861/515	11.17	का. अं.
	1	11-17	
9- अचलाराम, भंवरलाराम, रहेलाराम सिद हंसाराम, हनुमानराम, मगनाराम रणछोड़राम, भंवरलाल, उमाराम पी० अचलाराम, भंवरी देवी W/o अचलाराम कौम चौधरी सा० मारपू रयातेदार	861/515	0-12	का. अं
	516	0-11	मोर सुन
	2	1.03	

कि आगत में सभी प्रकरणों का निर्णय देय निर्णय का भाग रहेगा। इसी प्रकार रयातेदारी दर्ज का राजस्व रेकर्ड से मिलान होकर प्रतिवेदन पेश होवे। डिग्री पत्रावली होवे। पत्रावली मोहसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner